तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शिवराम एकलिया पुत्र श्री बुद्धारामजी जाति कुमावत सचिव श्री कृष्ण गौशाला सांगावास रोड निमाज, पाली (306303) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण प्रथम सूचना अपील संख्या :– 36 / 2022 जीसीएमएस नं. :– 2022 / 90 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

–: निर्णय :–

4/3/22

1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलांट उपस्थित।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 07.12.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण से चाही गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण ने जरिये पत्रांक / लोसूअ / राजस्व / 2022 / 167 दिनांक 25.02.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके पत्रांक / लोसूअ / राजस्व / 2021 / 01 दिनांक 07.01.2022 व 29 दिनांक 02.02.2022 के अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना आरटीआई अधिनियम के नियम 6(1) ख के तहत विशिष्टियों का अंकन नहीं होने से दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना आरटीआई अधिनियम के नियम 6(1) ख के तहत विशिष्टियों का अंकन नहीं होने से अदेय है। परन्तु इसके विपरीत अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट को वांछित सूचना प्राप्त नहीं होना बताया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति उपखण्ड अधिकारी जैतारण को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है अपीलांट द्वारा वांछित सूचना अपीलांट को उपलब्ध करवाकर आवेदन पत्र का निस्तारण करना चाहिए।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी / अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे।

5. निर्णय आज दिनांक 4/3/22 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

नमित मेहता
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली